

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5147/2025

Santram S/o Shree Mangatram

----Appellant

Versus

Tikam Singh S/o Shri Chaju Singh

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Manish K. Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

04/02/2026

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्चीगण/विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदनानुसार नोटिस दस्ती दिये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

चूंकि विपक्षीगण उपस्थित नहीं है, अतः गुण-दोषों पर एकपक्षीय रूप से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है लेकिन अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो, इस उद्देश्य से मात्र आगामी पेशी तक प्रत्यर्ची/विपक्षी क्रम-1 को जरिये अंतरिम आदेश पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करे। यह आदेश विपक्षी क्रम-1 पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

प्रकरण दिनांक 16.02.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J